हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
चौथमल वगै0 बनाम तहसीलदार वगै0

किंमु0:– 136 एलआरएक्ट | मुकदमा नम्बर:– 32/2022

06. 24

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 10 ग्राम नीमलीखुर्द तहसील व जिला सवाई माधोपुर के निवासी है। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नं० 79 रकबा 0.06 , ख०नं० 80 रकबा 0.68 है0, ख०नं० 81 रकबा 0.70 है० बाके ग्राम नीमलीखुर्द मुताविक जमाबन्दी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। हाल खसरा नं० 79, 80 81 के साविक ख०नं० 165 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा हैं। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हाल बन्दोबस्त के पश्चात् उपलब्ध कराई गई लट्ठा सीट में हाल खसरा नं० 80 81 में एक लाईन डाल दी गई है परन्तु उनमें कोई खसरा नं० नही डाले गये है तथा सेग्रीगेशन में अपलोड नक्शे में खसरा नं0 74 को खसरा नं० 80, 81 के पूर्व दिशा में भी दिखाया गया है जबकि साविक सीट में साविक ख०नं० 165 व ख०नं० 164 के मध्य कोई खसरा नम्बर नही है। साविक ख0नं0 164 के नये खसरा नं० 83 बने है। तथा हाल ख०नं० 74 के साविक ख0न0 167 मिन है इस प्रकार साविक ख०नं० 164 व 165 के मध्य ख0न0 167 नहीं है इसलिए प्रार्थी मुताविक साविक नक्शा शीट हाल नक्शा शीट को दुरुस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है । हाल खसरा नम्बर 80, 81 की रकबा बरारी करने पर पूरा रकबा ख०नं० 82, 83 की पश्चिमी मेड की लाईन पर ही पूरा होता है। चक तरासी नक्शा सीट में भी ख0न0 80 81 व ख०न0 82, 83 के मध्य कोई अन्य खसरा नम्बर नही है इसप्रकार मुताविक साविक शीट एवं चक तराशी शो हाल नक्शा को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद कारण तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक 19/5/22 को प्रार्थीगण के.सी.सी. की फाइल बनवाने के लिए नक्शा शीट की नकल ई–मित्र सेन्टर से निकलवाई। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि मध्य प्रस्तुत है। यह जैर नक्शा कि भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् को श्रवणाधिकार प्राप्त होने से उचित न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। विपक्षी नं0 3 लगायत 10 आराजी हाल खसरा नं0 74 के सहखातदार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा सहखातेदार जानकी पत्नी तुलस्या का निधन हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ए0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताविक साबिक खसरा नं० 165 की नक्शा शीट एवं चकतराशी नक्शा शीट हाल ख०न0 80 रकबा 0.68 है0, 81 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम नीमली की हाल नक्शा सेग्रीगेशन एवं लट्ठा सीट में दुरुस्ती के आदेश फमराये जाकर विपक्षी संख्या 1 को हाल नक्शा शीट एवं सेग्रीगेशन शीट में.दुरुस्ती इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्राथी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी। बाबजूद तामिल होने पर उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक एवं मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 79, 80, 81 वादी के खातेदारी में दर्ज है। वादीगण ग्राम नीमली खुर्द के निवासी है एवं वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि नीमली खुर्द में स्थित है एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायात 10 नीमली खुर्द के निवासी है। खातेदारी वादी व प्रतिवादी के आपस मे मेडे लगी हुयी है। साबिक खसरा नमबर 165 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 79, 80, 81 सही दर्ज किये गये है। दौराने सेग्रीगेशन के नवीन खसरा नम्बर 79, 80, 81 व हाल खसरा नम्बर 82, 83 के मध्य मे खाली जगह दर्ज कर दी गयी है जो गलत है जिसको शुद्ध किया जाना अपेक्षित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:54:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में सेग्रीगेशन करते समय नक्शे में खसरा नम्बर 79, 80, 81 व खसरा नम्बर 82, 83 के मध्य खाली स्थान दर्ज कर दिया गया है जिसको खसरा नम्बर 80, 81 में दर्ज मर्ज कर शुद्ध किया जाना अपेक्षित है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस की बहस में बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नं० 79 रकबा 0.06 ख०नं० 80 रकबा 0.68 है०, ख०नं० 81 रकबा 0.70 है० बाके ग्राम नीमलीखुर्द मुताबिक जमाबन्दी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। हाल खसरा नं० 79, 80 81 के साविक ख०नं० 165 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा हैं। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हाल बन्दोबस्त के पश्चात् उपलब्ध कराई गई लट्ठा सीट में हाल खसरा नं० 80 81 में एक लाईन डाल दी गई है परन्तु उनमें कोई खसरा नं० नही डाले गये है तथा सेग्रीगेशन में अपलोड नक्शे में खसरा नं0 74 को खसरा नं० 80, 81 के पूर्व दिशा में भी दिखाया गया है जबकि साविक सीट में साविक ख०नं० 165 व ख०नं० 164 के मध्य कोई खसरा नम्बर नही है। साविक ख0नं0 164 के नये खसरा नं० 83 बने है। तथा हाल ख०नं० 74 के साविक ख0न0 167 मिन है इस प्रकार साविक ख०नं० 164 व 165 के मध्य ख0न0 167 नहीं है इसलिए प्रार्थी मुताबिक साविक नक्शा शीट हाल नक्शा शीट को दुरुस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की बहस सूनी। प्रार्थी उक्त प्रकरण में साबिक खसरा नं० 165 की नक्शा शीट एवं चकतराशी नक्शा शीट हाल ख०न0 80 रकबा 0.68 है0, 81 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम नीमली की हाल नक्शा सेग्रीगेशन एवं लट्ठा सीट में दुरुस्ती के आदेश फमराये जाकर विपक्षी संख्या 1 को हाल नक्शा शीट एवं सेग्रीगेशन शीट में.दुरूस्ती इन्द्राज करवाना चाहता है जिसका समर्थन तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में किया गया है। प्रकरण सेग्रीगेशन का जिसको शुद्ध किया जाना उचित है।

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि उक्त प्रकरण में सेग्रीगेशन में गलती हुयी है। राजस्व ग्राम नीमली खुर्द के ऑनलाईन नक्शा शीट में खसरा नम्बर 79, 80, 81 व खसरा नम्बर 82, 83 के मध्य [illegible] स्थान दर्ज किया है उसको खसरा नम्बर 80, 81 में मर्ज [illegible] जाते है। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति त[illegible]पुर को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को सरे इजलास सुनाया [illegible]या। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:54:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कले[illegible]
सवाई माधो[illegible]